उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-119/2015/1084/71-1-2015-जी-168/2011टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 दिनेश चन्द्र गोविल, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्किन एण्ड बी0डी0, मेडिकल कालेज, झाँसी को संविदा के आधार पर नियुक्त/तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/928, दिनाँक 19-05-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 दिनेश चन्द्र गोविल, सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, स्किन एण्ड बी0डी0, मेडिकल कालेज, झाँसी को आचार्य के रूप में पदनामित करते हुये मेडिकल कालेज, झाँसी के स्किन एण्ड बी0डी0 विभाग में आचार्य के पद पर संविदा के आधार पर शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनाँक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11 /2011, दिनाँक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनाँक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले डा0 दिनेश चन्द्र गोविल:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किए जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनाँक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनाँक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनाँक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- डा0 दिनेश चन्द्र गोविल को शासनादेश दिनाँक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

अरिन्दम भट्टाचार्य
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-119/2015/1084(1)/71-1-2015- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झाँसी।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, झाँसी।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।